न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /2014 जिला–छतरपुर R3279-III/14

1. सुन्दर पुत्र श्री पिलू यादव
2. रामप्रसाद पुत्र श्री नारायणदास यादव निवासी ग्राम सिनारो तहसील बडामलहरा जिला छतरपुर (म.प्र.)

-- आवेदकगण

विरूद्ध

1. बिहारीलाल पुत्र श्री धनीराम यादव
2. राजाराम श्री धनीराम यादव
3. हरदीन पुत्र श्री धनीराम यादव
4. इमरत पुत्र श्री धनीराम यादव समस्त निवासीगण ग्राम सिनारो तहसील बडामलहरा जिला छतरपुर (म.प्र.)

-- अनावेदकगण

न्यायालय तहसीलदार, तहसील बडामलहरा जिला छतरपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 03/अ–06/2012–13 में पारित आदेश दिनांक 27.08.2014 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदकगण की ओर यह पुनरीक्षण निम्न तथ्यों एवं आधारों पर न्यायदान हेतु प्रस्तुत है कि –

मामले के संक्षिप्त तथ्य

1. यहकि, तहसीलदार, तहसील बडामलहरा के समक्ष अनावेदकगण द्वारा एक आवेदन पत्र संहिता की धारा 115, 116 के अन्तर्गत इस आशय से प्रस्तुत किया कि ग्राम सिलारो में स्थित भूमि आराजी खसरा नं. 137, 138/1 138/2, 139, 174, 259, 274, 277 क्रमशः रकवा 0.053, 0.826, 0.021, 0.020, 0.024, 0.210, 0.024, 0.329 हैक्ट्यर भूमि उनके पिता धनीराम पुत्र नन्नू अहीर के भूमि स्वामी स्वत्व की भूमि थीं। खातेदार धनीराम पुत्र नन्नू अहीर का स्वार्गवास हो चुका है। वह उनके वैध वारिस है, कानून की जानकारी नहीं होने के कारण राजस्व अभिलेखों में अपना नाम नहीं कराया है। जानकारी होने पर आवेदन पेश किया है।

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

(35)

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 3279–तीन/14 जिला छतरपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
09–12–2014	आवेदक अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार तहसील बडामलहरा जिला छतरपुर के प्रकरण कमांक 03/अ–6/12–13 में पारित आदेश दिनांक 27–8–14 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया जिसके विरूद्ध आवेदक द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है। 2– तहसील न्यायालय के आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि उनके द्वारा पारित अंतरिम आदेश दिनांक 27–8–14 से आवेदक द्वारा आदेश 7 नियम 11 जा.दी. के तहत प्रस्तुत आवेदन को विधिनुकूल निरस्त किया है तथा प्रकरण अनावेदक की साक्ष्य हेतु नियत किया है जिसमें किसी प्रकार की अवैधानिक परिलक्षित नहीं होती है । अतः प्रथमदृष्टया यह निगरानी आधारहीन होने से इसी स्तर पर अग्राह्य की जाती है। **प्रशासकीय सदस्य**	